न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —128 / 2016 अपील (RCMS/2016/00001)
पंजीयन दिनांक —23.12.2016
निर्णय दिनांक —11.03.2019

1. श्री सोहनलाल पिता श्री गणेशलाल शर्मा,
2. श्री रामचन्द्र उर्फ कजोड़ पिता गणेषलाल शर्मा,
3. श्री कमलाशंकर पिता श्री गणेशलाल शर्मा, सभी निवासी माऊ, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री गोराजी स्थानदेह माऊ, जरिये पुजारी कनीराम पिता नारायण गाडरी, निवासी मऊ, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राजस्थान)।
2. ग्राम पंचायत गोगाथला जरिये सरपंच गोगाथला
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री सत्यप्रकाश व्यास — वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी), रेलमगरा, प्रकरण संख्या 35 / 2016 दिनांक 10.05.2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 11.03.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी), रेलमगरा, प्रकरण संख्या 35 / 2016 दिनांक 10.05.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–

अधीनस्थ न्यायालय समक्ष रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के पेश कर प्रार्थना कि आराजी संख्या–306 व ग्राम माऊ की आबादी भूमि व 305 व 306 के मध्य जो कि विपक्षी (रेस्पोडेंट–2 व 3) के स्वत्व व आधिपत्य की है, के मध्य स्थाई सीमाकंन चिन्ह के रूप में पत्थर गढ़ी करायी जावें।

अधीनस्थ न्यायालय लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी), रेलमगरा द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत के तहत ग्राम पंचायत गोगाथला पर आयोजित शिविर में रख कर दिनांक 10.05.2016 को निर्णय पारित किया कि

''प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम माउ के प्रार्थी की आराजी संख्या 306 व ग्राम माउ की आबादी भूमि व 305 व 306 के मध्य जो कि विपक्षी के स्वत्व व आधिपत्य की है, के मध्य पत्थरगढ़ी हेतु तहसीलदार, रेलमगरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।''

उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा दिनांक 09.03.2016 को प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। इससे पहले दिनांक 26.04.2014 को अपीलार्थीगण ने माननीय सिविल न्यायाधीश, राजसमन्द के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या–1 के तथाकथित पुजारी श्री कनीराम और उसके भाईयों श्री उदयलाल और श्री भेरूलाल के विरूद्ध रास्ता रोकने और अतिक्रमण करने से रोकने के लिए एक स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जो अभी विचाराधीन है। इस वाद के साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था जिसका प्रकरण संख्या 26/2014 है। इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 09.01.2015 को मूल वाद के अंतिम निर्णय तक विवादित स्थल की यथावत स्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया गया। इसके बाद दिनांक 19.05.2014 को अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

की धारा 136 का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट संख्या–1 व 3 के विरूद्ध पेश किया जिसका प्रकरण संख्या–168/2014 है। वक्त निर्णय दिनांक 10.05.2016 यह प्रार्थना पत्र विचाराधीन था। तदूपरांत उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा द्वारा निर्णय दिनांक 16.05.2017 द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 16.5.2017 की अपील माननीय न्यायालय हाजा संभागीय आयुक्त, उदयपुर में पेश की गई जिसके प्रकरण संख्या–142/2017 थे। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.01.2019 से उक्त अपील में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 16.05.2017 अपास्त किया गया गया।

अपीलार्थीगण द्वारा की गई उक्त कानूनी कार्यवाही से रेस्पोडेंट संख्या–1 को यह पता था कि अपीलार्थीगण हितबद्ध व्यक्ति है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में उनको पक्षकार नहीं बनाया गया। यहि नहीं रेस्पोडेंट संख्या–3 को भी उक्त कार्यवाही की जानकारी थी क्योंकि प्रकरण संख्या–168/2014 में तहसीलदार द्वारा अपनी उपस्थिति देकर जवाब प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं मौके की स्थिति के सर्वथा विपरित है। अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 13.06.2016 को नियत थी, परन्तु बिना किसी सूचना के उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प गोगाथल में दिनांक 10.05.2016 को रख फैसल कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई जो प्राप्त की गई होती हो वास्तविक तथ्य पत्रावली पर होते। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें।

अपने कथन के समर्थन में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी मय दस्तावेज प्रस्तुत किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या–35/2016 के निर्णित होने से पूर्व विभिन्न न्यायालयों में दर्ज प्रकरण के बारे में उपरोक्तानुसार अवगत कराया, जो वर्तमान में विचाराधीन है। अपने कथन की ताईद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी मय दस्तावेज प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर स्वीकार किया गया। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से विद्वान वकील अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि होती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त विवादित भूमियों के सम्बन्ध में इन्द्राज दुरस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2017 से निरस्त किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या–142/2017 को न्यायालय हाजा निर्णय दिनांक 15.01.2019 से स्वीकार की गई और उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा के निर्णय दिनांक 16.05.2017 को निरस्त किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी हितबद्ध व्यक्ति था जिससे उसे पक्षकार बनाया जाना था जो नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व तथ्यों एवं मौके की जांच नहीं कराई गई, जो उचित नहीं है व नियम विरूद्ध है।

उपरोक्त परिस्थितियों, पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों और कानूनी बिन्दुओं पर विचार एवं विश्लेषण नहीं कर, पारित किया अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.05.2016 पूर्णतया विधि स्वरूप न होकर अपास्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवचेनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। लेण्ड रेकार्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी), रेलमगरा का निर्णय का दिनांक 10.05.2016 Bad in law होकर अपास्त किया जाता है। प्रार्थी/अपीलार्थीगण अग्रिम कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी/अपीलार्थीगण अग्रिम कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official